

न्यायालय विहित प्राधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत जबलपुर

प्रकरण क्रमांक/93/अ-89/19/2021-22 3571

जबलपुर दिनांक: 10/12/21

स्मरण पत्र

प्रति,

कार्यपालन यंत्री  
हिरन जलसंसाधन जबलपुर

विषय: आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना क्रमांक 11 जनपद पंचायत शहपुरा के कार्यों के भौतिक सत्यापन बावता

संदर्भ: न्यायालयीन पत्र क्रमांक 3118 दिनांक 25.10.2021

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना क्रमांक 11 के अंतर्गत जलग्रहण समितियों द्वारा निर्मित जलसंग्रहण संरचनाओं का स्थल निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन कर कार्य की गुणवत्ता/उपयोगिता एवं कार्य के छायाचित्र सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। आपसे प्रतिवेदन आज दिनांक तक अप्राप्त है। आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना क्रमांक 11 में निर्मित जलग्रहण संरचनाओं के संबंध में प्रकरण सी.एम. मॉनिट एवं विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 291 में होने से शासन द्वारा समय-सीमा 07 दिवस में जानकारी अनिवार्यतः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

जलसंग्रहण संरचनाओं की सूची संलग्न कर प्रेषित है। उक्त संरचनाओं का स्थल निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन कर संरचनाओं की गुणवत्ता/उपयोगिता का उल्लेख करते हुये विस्तृत प्रतिवेदन अविलंब इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवश्यकतानुसार अपने स्तर से अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का सहयोग किया जाकर उक्त जांच समय-सीमा 7 दिवस में निष्पादित करना सुनिश्चित करें।

विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत जबलपुर

पु.प्रकरण क्रमांक/93/अ-89/19/2021-22 3571

जबलपुर दिनांक: 10/12/21

प्रतिलिपि:

1. कलेक्टर जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ
2. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर की ओर उपरोक्तानुसार जांच में समन्वय एवं सहयोग हेतु।
3. श्री राजेन्द्र सिंह चौहान तकनीकी विशेषज्ञ वाटरशेड जिला पंचायत जबलपुर की उपरोक्तानुसार जांच में समन्वय एवं सहयोग हेतु।

विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत जबलपुर